

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2167
उत्तर देने की तारीख : 12.03.2025
तीन तलाक के मामले

2167. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में तीन तलाक कानून पारित होने के बाद से अब तक दर्ज किए गए मामलों की संख्या का वर्ष और राज्य-वार व्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रिजिजू)

- (क): ऐसा कोई डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। इसके अलावा, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य सरकारें मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 सहित कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत अपराधों से निपटने में सक्षम हैं।
